न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अमृतलाल पुत्र उमाशंकर 2. जगदीश पुत्र उमाशंकर 3. रविशंकर पुत्र उमाशंकर 4. शान्तिलाल पुत्र उमाशंकर जातियान श्रीमाली ब्राहमण निवासी सुरजवाडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर		1. करमी पुत्र जानुजी 2. गलबा पुत्र जानुजी 3. स्व.लवगो पत्नी जानुजी के कायम मुकामः– 3/1. वदणी पुत्री जानुजी 3/2. राजुदेवी पुत्री जानुजी 4. मना पुत्र जानुजी 5. चुनी पुत्री जोराजी 6. देवाराम पुत्र जोराजी 7. सीता पुत्री जोराजी 8. सोपुदेवी पत्नी जोराजी जातियान कलबी निवासीगण सुरजवाडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर 9. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार खण्डेलवाल।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
3. अप्रार्थी संख्या 9 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 09.06.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा प्रार्थीगण चारों सगे भाई है, जो एक–दुसरे का किया कराया मंजुर करते है। प्रार्थीगण संख्या 4 शान्तिलाल अपने अत्यावश्यक कार्य हेतु बाहर गया हुआ है। उसने यह प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु प्रार्थीगण जो कि उसके सगे भाई है उनको सहमति प्रदान कर रखी है चुंकि उक्त प्रार्थना–पत्र मात्र पैमाईश एवं सीमाकंन का है, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा कम या ज्यादा नहीं हो रहा है इसलिए प्रार्थी संख्या 1 से 3 के हस्ताक्षर से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। मौजा सुरजवाडा तहसील रानीवाडा में वर्तमान आराजी खसरा नबंर 119 रकबा 2.66 हैक्टर किस्म बारानी दोयम स्थित है, जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त दर्ज है।

2. प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा नबंर 119 के पुर्वी दिशा की ओर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की सामलाती खातेदारी भुमि खसरा नबंर 118 रकबा 2.51 हैक्टर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा सुरजवाडा स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की आराजीयान के बीच में माठ व सीमा को [illegible] विवाद होता रहता है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 से 8 बदमाश व सिरजोर व्यक्ति है [illegible] में माठ एवं सीमा को लेकर कई बार विवाद हो चुके है। वर्तमान [illegible] एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के मध्य कलह, क्लेश व लडाई–झगडा होने का खतरा बना रहता है। जिसको लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 15:56:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 8 से इस संबंध में आपसी सहमति से सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 से 8 ने इंकार कर दिया एवं उल्टा प्रार्थीगण की आराजी की माठ को नुकसान कारित करने की धमकी दी।

3. प्रार्थीगण ने दिनांक 30.6.2020 को पैमाईश हेतु निर्धारित प्रारूप में अप्रार्थी संख्या 9 के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया था, जिस पर राजस्व टीम मौके पर पैमाईश करने आई तो अप्रार्थी संख्या 1 से 8 ने राजस्व टीम को पैमाईश नहीं करने दी गई इसलिए यह प्रार्थना–पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश करना जरूरी हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की आराजी के बीच स्थित माठ का सीमांकन तहसीलदार रानीवाडा के नेतृत्व में राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर स्थाई बिन्दु से पैमाईश कर माफिक प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि सरहद मौजा सुरजवाडा तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नबंर 119 की स्थाई बिन्दु से पैमाईश करवाई जाकर सीमांकन किया जाकर स्थाई सीमा चिन्ह (पत्थरगढी या कंटीले तारों की माठ) कायम करावें। विकल्प में यह भी निवेदन है कि उपरोक्त सीमांकन हेतु एक राजस्व टीम तहसीलदार के नेतृत्व में हल्का पटवारी, हल्का आर. आई. सहित कर्मचारियों की गठित कर उपरोक्त स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगढी कायम करने आदेश फरमावें।

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 2, 4 से 8 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3/1 व 3/2 को तर्क किया गया। व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा विवाद होने की स्थिति को स्वीकारते हुए जवाब पेश नही कर बहस का निवेदन किया गया।

5. प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार रानीवाडा के आदेश 52 दिनांक 30.06.2020 से मौजा सूरजवाडा के खसरा नम्बर 119 रकबा 2.66 हेक्टेयर का सीमांकन हेतु आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश से राजस्व टीम मौके पर पैमाईश करने आई तो अप्रार्थी संख्या 1 से 8 ने राजस्व टीम को पैमाईश नहीं करने दी गई व अप्रार्थी प्रार्थीगण की आए दिन पूर्वी माठ को खूर्द–बुर्द करते रहते है जिससे प्रार्थीगण तंग आ चूके है। इसलिए प्रार्थीगण ने दिनांक 26.06.2020 को थानाधिकारी पूलिस थाना रानीवाडा लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। प्रार्थीगण के पास अब सीमाकंन करवाकर स्थाई प्रतीक चिन्ह रोपित करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से श्रीमान न्यायहित में पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के कथनों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की आराजी के बीच मौके पर पुरानी माठ कायम की हुई है। इसलिए माठ को लेकर कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को दिनांक 30.06.2020 को राजस्व टीम मौके पर पैमाईश करने आई हो तो इस बात की जानकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने पूर्व में भी अप्रार्थीगण के विरूद्व अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा यह प्रार्थना पत्र भी प्रार्थीगण द्वारा इसी नियम से पेश किया [illegible] जो काबिल खारीज है।

6. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज व अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब का अवलोकन करने व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:56:23 IST
Reason: SelfAttested

मौजा सुरजवाडा के खसरा नम्बर 119 की पूर्वी लौर पर पर स्थित खसरा नम्बर 118 के मध्य माठ पर विवाद होना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब के साथ कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हो जिससे विवाद की स्थिती का नहीं होना साबित हो। तथा तहसीलदार रानीवाडा द्वारा भी बहस में मौके पर विवाद की स्थिति को स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की माठ पर मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा सुरजवाडा के उपरोक्त खसरा नम्बर 119 रकबा 2.66 व खसरा नक्बर 118 रकबा 2.51 हेक्टेयर के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा सुरजवाडा पटवारी मण्डल सुरजवाडा के खसरा नम्बर 119 व 118 रकबा क्रमश 2.66 व 2.51 हैक्टेयर की आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:56:23 IST
Reason: SelfAttested